

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी/राजकीय चिकित्सक द्वारा निर्गत
विकलांगता प्रमाण-पत्र**

[राज्याधीन सेवाओं के लिए केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा]
शासनादेश संख्या १२५/५-७-२००४/चिकित्सा अनुभाग-७ दिनांक १६ जनवरी २००४ के अनुसार।

जनपद-गोण्डा
जारी करने की तिथि

S-N-18
25/5/10



अधिकृतिक प्रमाणित नहीं
अधिकृतिक प्रमाणित नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि कु०/श्रीमती/श्री... राम अौतार 26.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... राम कुमार निहाद... निवासी (पूर्ण आवासीय
पता) शा. नं. पो. महाराज गंज ग्रा. ट. यामना खोंडारे

जनपद... गोण्डा यू. पी. आज मेरे सम्मुख अपनी शारीरिक जांच हेतु उपस्थित हुए।
सम्यक शारीरिक जांच के उपरान्त इनकी शरीर में निम्नलिखित विकलांगता पाई गई, जो स्याई प्रकार की है।

PPR-LLY

उपरोक्त विकलांगता के आधार पर इनका विकलांगता प्रतिशत लगभग

है। इनका पहचान बिन्दु

इनके बायें/दायें अंगूठे का निशान निम्नवत्।

Ram Aular

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
अंगूठे का निशान

यदि कृपया पूर्ण विवरण देना है कि
ये सभी पूर्ण विकलांगता प्रमाण पत्र
वही मान्य पत्र है।

राजकीय चिकित्सक के
हस्ताक्षर व मुहर

राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर
व मुहर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुहर